बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 403342
ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(राज्यांश)-106-01/2018

सेवा में,

पटना, दिनांक 27.12.2018

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0302-इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0), विपत्र कोड-42-2216037890302 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति के लिए) के कार्यान्वयन के लिए विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के राज्यांश मद में ₹ 66371.480 लाख (छः अरब तिरसठ करोड़ एकहतर लाख अड़तालीस हजार रूपये) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति ।

आदेश :- स्वीकृत ।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 से केन्द्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों में से जाँचोपरान्त एवं ग्राम सभा द्वारा पात्र परिवारों के चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात लाभुकों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है ।

3. योजनान्तर्गत कुल लक्ष्य का 60% अनु0 जाति/जनजाति के लिए, 15% अल्पसंख्यकों के लिए एवं अवशेष लक्ष्य गैर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा Overall 5% विकलांगों के लिए आवास आवंटन का प्रावधान है । उक्त प्रावधान के आधार पर केन्द्र स्तर से राज्य के लिए भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय एलोकेशन निर्धारित किया जाता है ।

4. मार्गदर्शिका की कंडिका-11.1 में विशेष परियोजनाओं (प्राकृतिक आपदा-5%, आदि) के अंतर्गत SECC-2011 के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति एवं निधि के विमुक्ति के उपरांत लाभुकों को मकान निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए विमुक्त किये जाने वाले निधि का 4% योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशासनिक व्यय पर वहन किये जाने का प्रावधान है । उक्त राशि में से 0.5% की राशि राज्य के मुख्यालय स्तर पर एवं 3.5% की राशि जिलों के लिए अनुमान्य है ।

6. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से योजनान्तर्गत सामान्य जिलों में प्रति लाभुक ₹ 1,20,000 (एक लाख बीस हजार रूपए) एवं राज्य के 11 IAP जिलों यथा- औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर (भभुआ), सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण में ₹ 1,30,000 (एक लाख तीस हजार रूपये) सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना है । लाभुकों को सहायता राशि का अंतरण State Nodal Account से FTO (Fund Transfer Oder) के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में किया जाता है ।

7. ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प सं0-267925 दिनांक-04.04.16 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानानुसार योजनान्तर्गत व्यय भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा क्रमश: 60:40 निर्धारित है ।

8. वित्तीय वर्ष 2014-15 से केन्दांश की राशि राज्यकोष में विमुक्ति की सूचना के पश्चात आनुपातिक राज्यांश की राशि राज्य बजट में एतद् निमित्त उपबंधित राशि के अंतर्गत निकासी कर व्यय किया जाता है ।

9. स्वीकृत राशि से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विमुक्त केन्द्रांश द्वितीय किश्त की अवशेष राशि एवं 2017-18 विमुक्त प्रथम किश्त के विरूद्व देय आनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जायेगी ।

10. अनुसूचित जातियों के लिये राज्यांश की राशि की स्वीकृति हेतु विभागीय मांग संख्या-42 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2216 के अंतर्गत विपत्र कोड-42-2216037890302 के विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0302.31.05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण में मूल बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय ₹ 13963.00 लाख रूपये था । इसके अतिरिक्त पुनर्विनियोग के माध्यम 26905.940 लाख रूपये एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से 66371.480 लाख रूपये उपबंध किया गया है । इस प्रकार कुल बजट उपबंध 107240.420 लाख रूपये एवं समतुल्य राशि का योजना उद्व्यय कर्णांकित है ।

11. वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के विरूद्ध पूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-376028 दिनांक-21.06.18 द्वारा 13963.00 लाख रूपये एवं स्वीकृत्योदश संख्या-385090 दिनांक-21.08.2018 द्वारा 26905.940 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है ।

12. वित्त विभागीय पत्र संख्या-3244 दिनांक-04.05.18 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यय हेतु वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्ण रूप से शिथिल किया गया है, फलस्वरूप बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि की सीमा तक राज्यांश की राशि की निकासी की जायेगी ।

13. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत चालू स्कीम पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक-एम04-53/2007-2199 वि0 दि0-24.03.17 की कंडिका 7 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में उपबंधित राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

14. स्वीकृत राशि योजना मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0302-इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0), विपत्र कोड-42-2216037890302 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति के लिए) के कार्यान्वयन के लिए विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

15. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

16. ग्रामीण विकास विभाग के मांग संख्या-42 में मुख्य शीर्ष-2216 के अंतर्गत विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व से घोषित हैं तथा स्वीकृत राशि सहायता अनुदान से संबंधित है, अतएव वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

17. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेश में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी ।

18. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निकासी कर बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) के संचालनाधीन BRDS State Nodal Account PMAY-G के नाम से ICICI बैंक, किदवईपुरी शाखा, Near Income Tax गोलम्बर, पटना-800001 में संधारित खाता संख्या-431701000244, IFSC Code-ICIC0004317, MICR Code-800229028 में जमा किया जायेगा तथा विभागीय निदेश के आलोक में उक्त बैंक खाते से राशि का FTO (Fund Transfer Oder) के माध्यम से व्यय किया जायेगा ।

19. स्वीकृत राशि के विरूद्ध बी0आर0डी0एस0 के बैंक खाते में जमा की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी (BRDS), पटना के द्वारा समेकित रूप से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महालेखाकार, बिहार तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को समर्पित किया जायेगा ।

20. वित्त विभाग के संकल्प सं0-2199 दिनांक-24.03.17 के आलोक में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं केन्द्रांश की विमुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(राज्यांश)-106-01/2018 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-21/टि0 में दिनांक-26.12.2018 को प्राप्त है।

21. वित्त विभाग के संकल्प सं0-2199 दिनांक-24.03.17 के आलोक में प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(राज्यांश)-106-01/2018 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-22/टि0 में दिनांक-27.12.2018 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

27-12-18

(राजेश परिमल)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 403342 पटना, दिनांक 27.12.2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- श्री बी0सी0बहेरा, निदेशक (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

27-12-18

सरकार के उप सचिव

D:\SECTION -5 BACKUP\D Drive\Mukesh\IAY Sanction 18-19(5).doc